



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-702

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 323161 दिनांक 05/08/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rajeev Sharma S/o Jageshwar Lal Sharma	गोपाल, कालू एवं बाबूलाल मीणा पुत्रान् भुवाना	9/BO/68	627.00 SQ. METER	JDA	RING ROAD PROJECT (ZONE-09) Sector/Block-B	Name Transfer	जविप्रा की योजना रिंग रोड परियोजना के भूखण्ड संख्या 9/बीओ/68 क्षेत्रफल 627 व.मी. की लीजडीड दिनांक 30.01.2012 को गोपाल, कालू एवं बाबूलाल मीणा पुत्रान् भुवाना के नाम से जारी की गयी थी। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.01.2013 को गोपाल, कालू एवं बाबूलाल मीणा पुत्रान् भुवाना द्वारा कविता शर्मा पत्नी जागेश्वर लाल को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रश्नगत भूखण्ड की रजिस्टर्ड वसीयत कविता शर्मा पत्नी



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

जागेश्वर लाल
द्वारा राजीव शर्मा
पुत्र जागेश्वर लाल
के पक्ष में कर
दिया गया।
आवेदक द्वारा
अपलोड मृत्यु
प्रमाण पत्र
अनुसार दिनांक
20.04.2017 को
कविता शर्मा का
निधन हो गया।
आवेदक राजीव
शर्मा पुत्र जागेश्वर
लाल द्वारा
रजिस्टर्ड वसीयत
के आधार पर
नाम हस्तांतरण
हेतु आवेदन किया
गया है। प्रकरण
मृत्यु से संबंधित
होने के कारण
विज्ञप्ति का
प्रकाशन करवाया
जाना अपेक्षित है।
अतः पत्रावली
अवलोकनार्थ एवं
आदेशार्थ प्रस्तुत
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rajeev Sharma S/o Jageshwar Lal Sharma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।